न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील नम्बर 149/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00158)

1. रघुवीर
2. चिरंजी
3. कल्याण
4. गिरधारी
5. राजाराम

पिसरान नवास्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम राणोली तहसील सिकराय जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील सिकराय जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 27.05.2016 उनवानी प्रकरण रघुवीर आदि बनाम राज0 सरकार अपील संख्या 24/2016

उपस्थित–

1. श्री पदम सिंह गुर्जर, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –08.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 27.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलांट्स द्वारा ग्राम राणोली तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 433/1 रकबा 4 बीघा पर अतिक्रमण कर काश्त कर ली गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के पश्चात नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 408/2006 में पारित निर्णय दिनांक 4.9.2006 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा में प्रस्तुत अपील संख्या 129/2006 में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2006 के द्वारा नायब तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 4.9.2006 को अपास्त करते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया था कि अपीलान्टस अतिक्रमियों को विधिवत सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करें। किन्तु न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 26.12.2015 पारित कर अपने पूर्व निर्णय दिनांक 4.9.2006 को यथावत रखने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के अपील प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.05.2016 द्वारा नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा का निर्णय दिनांक 26.12.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ पुनः रिमाण्ड किया गया कि अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 26.12.2015 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 27.05.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा दिनांक 26.12.2015 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 27.05.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 4.9.2006 अपास्त कर पत्रावली नायब तहसीलदार को रिमाण्ड की परन्तु नायब तहसीलदार ने कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया बल्कि पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर पुनः विधिवत सुनवाई किये बगैर ही निर्णय दिनांक 4.9.2006 को यथावत रख दिया। अपीलान्ट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा में प्रस्तुत की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने निर्णय को निरस्त न कर पुनः पत्रावली के रिमाण्ड के आदेश पारित किये। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय खिलाफ कानून नियम उप नियम व पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने एक बार प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया तो पुनः रिमाण्ड करने का कोई औचित्य ही नहीं रहता है। ऐसी सूरत में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय को तो केवल यह निर्णय करना था कि जैर अपील सही व कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत है या नहीं परन्तु अधिनस्थ ने दुबारा प्रकरण को रिमाण्ड करने में कानूनी गलती की है। रिमाण्ड करने के बाद नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया इसलिए अधिनस्थ न्यायालय के पूर्व आदेश की पालना नहीं की गई, इसलियें निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अवैधानिक होने के कारण केवल निरस्त ही होना चाहिए परन्तु अधिनस्थ अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने पुनः रिमाण्ड का जो आदेश दिया है वह निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा को प्रश्नगत निर्णय की वैधता के सम्बन्ध में ही निर्णय करना चाहिए पुनः रिमाण्ड करने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिये भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत किये जाने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 27.05.2016 व नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा का निर्णय दिनांक 26.12.2015 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम राणोली तहसील सिकराय की चरागाह भूमि खसरा नम्बर 433/1 रकबा 4 बीघा पर अतिक्रमण कर काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 4.9.2016 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30–30 दिन का सिवल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। तत्पश्चात प्रकरण रिमाण्ड करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांटस पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पटवारी हल्का राणोली नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ

अतिरिक्त भागीय आयुक्त

न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट्स ने राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 433/1 रकबा 4 बीघा पर सम्वत 2063 फसल बाजरा तथा कब्जा बाडा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय ने अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्णय दिनांक 04.09.2006 पारित कर अपीलान्ट को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल कर 50 गुणा शास्ति आरोपित करते हुये फसल नीलामी करने एवं अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये 30–30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा पूर्व में सम्वत 2062 में भी काश्त कर अतिक्रमण किया गया था जिसको बेदखल किया जाना अंकित किया गया है। जिससे यह साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। किन्तु प्रकरण रिमाण्ड किये जाने के पश्चात अतिक्रमी द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय में प्रस्तुत जवाब का कोई उल्लेख तहसीलदार न्यायालय में नहीं किया जाना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट को न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा में सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 27.05.2016 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 26.12.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड कर अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रति प्रेषित किया गया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2016 को यथावत रखा जाता है। चूंकि प्रकरण विगत कई वर्षों से लम्बित है। अतः तहसीलार सिकराय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय नियत समयावधि में पारित करें। इस हेतु तहसीलदार को पृथक से तहरीर जारी हो।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर